तुर्की से सलीम डोला की वापसी बड़ी उपलब्धि

ड्रग तस्करी नेटवर्क के तहत डोला को भारत लाया गया : शाह

ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर एन सी बी की बड़ी जीत

नयी दिल्ली 28 अप्रैल केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नार्को सिंडिकेट के खिलाफ सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति के अनुरूप, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन सी बी) ने तुर्की से कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है.

श्री शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा ,' मोदी सरकार की

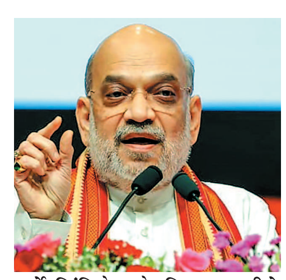

नार्को सिंडिकेट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एन सी बी ने तुर्की से कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है।' उन्होंने कहा कि ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के सरकार के मिशन के तहत, हमारी नार्कोटिक्सरोधी एजेंसियों ने वैश्विक एजेंसियों के एक मज़बूत नेटवर्क के ज़रिए सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ बना ली है। उन्होंने कहा कि ड्रग सरगना कहीं भी छिप जाएं, अब उनके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। सलीम डोला की वापसी सरकार के सभी नार्कोटिक्स भगोड़ों और संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों को कानून के कटघरे में लाने के मज़बूत इरादे को दर्शाती है। एन सी बी ने अंतरराष्ट्रीय और भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर, 'ऑपरेशन ग्लोबल-हंट' के तहत वांछित ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाने में सफलता हासिल की है। सुबह यहां इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुँचते ही एन सी बी ने उसे हिरासत में ले लिया. सलीम डोला (59 वर्ष, मुंबई निवासी) के खिलाफ मार्च, 2024 में भारत के अनुरोध पर इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। भारत में कई नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए उसकी तलाश थी और वह भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर था. पिछले कुछ वर्षों में, डोला ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में फैला हुआ एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट खड़ा कर लिया था।

> डोला के दो दशकों के आपराधिक इतिहास में महाराष्ट्र और गुजरात में हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, मैंड्रेक्स और मेथामफेटामाइन की बड़ी खेप पकड़े जाने से जुड़े मामलों में डोला की सीधी भूमिका है। सलीम डोला की भूमिका भारत में निचले स्तर के वितरण नेटवर्क के लिए एक थोक सप्लायर के रूप में लगातार सामने आती रही है। इसके अलावा, गुजरात ए टी एस और मुंबई पुलिस को भी उसकी तलाश थी। इससे पहले, उसके बेटे ताहिल सलीम डोला और अन्य सहयोगियों को 2025 में संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण के बाद मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

डोडा में लगे पाकिस्तान समर्थक पोस्टर

डोडा 28 अप्रैल. जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में उस समय माहौल अचानक गर्म हो गया, जब पुल डोडा इलाके की दीवारों पर पाकिस्तान से जुड़े विवादित पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टरों के सामने आते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया। पोस्टरों में शहबाज शरीफ, असिम मुनीर और पाकिस्तानी झंडे की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया.

केजरीवाल और सिसोदिया ने किया सत्याग्रह

सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का लिया संकल्प

नई दिल्ली, 28 अप्रैल. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर नमन करते हुए सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया.

श्री केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि आज मनीष सिसोदिया और अन्य साथियों के साथ राजघाट पहुंच कर राष्ट्रपिता

महात्मा गांधी जी को नमन किया। मेरी बापू से यही प्रार्थना है कि उनके दिखाए सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के हमारे संकल्प को वे सदैव शक्ति दें. मेरा अटूट विश्वास है कि बापू के आशीर्वाद से, सत्याग्रह के इस कठिन पथ पर हम पूर्ण निष्ठा के साथ अडिग रहेंगे. बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान श्री केजरीवाल ने कहा कि मामला अदालत का है.

मनीष सिसोदिया ने भी पेश होने से किया इनकार

नई दिल्ली. दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर सूचित किया है कि

न तो वह और न ही उनके वकील उनकी अदालत में पेश होंगे. सिसोदिया ने अपने पत्र और सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पूर्ण सम्मान के साथ, उनकी अंतरात्मा उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में न्यायमूर्ति के समक्ष कार्यवाही में भाग लेना जारी रखने की अनुमति नहीं देती है. उन्होंने लिखा कि यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि उस भरोसे का सवाल है जिस पर न्याय व्यवस्था टिकी है कि हर नागरिक को न केवल न्याय मिलना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए. पूर्व उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका और संविधान में उनकी आस्था अटल है लेकिन जब मन में गंभीर संदेह पैदा होते हैं, तो केवल औपचारिक भागीदारी उचित नहीं होती.

भाजपा के गढ़ में ओवैसी ने मारी एन्ट्री

गुजरात में सियासी बदलाव

गांधीनगर, 28 अप्रैल राजनीतिक रूप से भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाने वाले गुजरात में इस बार निकाय चुनाव के नतीजों ने चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। जहां एक ओर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में रही, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है.

कच्छ के भुज में एआईएमआईएम ने पहली बार जीत दर्ज कर अपना खाता खोला। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तीन उम्मीदवारों की जीत ने यह

संकेत दिया है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मतदाता नए विकल्पों को स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा के मजबूत प्रभाव वाले इस इलाके में एआईएमआईएम की एंट्री राजनीतिक विश्लेषकों के लिए खास मायने रखती है।

कुटियाना में सपा का जलवा

पोरबंदर के कुटियाना से लेकर कच्छ के भुज तक, इन दलों ने जीत दर्ज कर यह संकेत दिया है कि मतदाता अब पारंपरिक विकल्पों से आगे सोच रहे हैं। खासतौर पर अखिलेश यादव की सपा और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का प्रदर्शन आने वाले समय में राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। पोरबंदर जिले के कुटियाना नगर पालिका में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रभीबेन कानाभाई रायगा की जीत ने सबका ध्यान खींचा है। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संदेश की है जो बताता है कि अखिलेश यादव की पार्टी अब गुजरात जैसे राज्य में भी अपनी जमीन तलाश रही है। कुटियाना में यह मुकाबला काफी प्रतिष्ठा का माना जा रहा था, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन स्थानीय समीकरणों और रणनीति ने सपा को बढ़त दिलाई। इन चुनाव परिणामों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम संकेत माना जा रहा है,

आज का इतिहास

1639 दिल्ली में शाहजहां ने ऐतिहासिक लाल किले की नींव रखी.
1661 चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया.
1813 अमेरिका में जेएफ हम्मेल ने रबर का पेटेंट कराया.
1848 मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म.
1903 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल हाईकोर्ट में लीगल प्रेक्टिस शुरू की और वहां ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की .
1920 महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन.
1930 ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलिफोन सेवा की शुरुआत हुई.
1936 - पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय संगीत निर्देशक ज़ुबिन मेहता का जन्म.
1939 - नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया.

NAME CHANGE

I **TAHA ALIAS KAMRI TAHA SHAKIR** Here By declare that I have change My name as **TAHA SHAKIR** so from now in future I will be known by my new name **TAHA SHAKIR** for all future purposes.

Address-
S/0 SHAKIR HUSSAIN KAMRI
SINGHANA ROAD NEAR KAILASH HOSPITAL
CHAITANYA DHAM COLONY MANAWAR DISTT DHAR -454446

In The Court Of 18 Civil Judge Class-1, District Court Indore
Presiding Officer : श्रीमती चंचल बुंदेला
संलग्न नोटिस प्रकाशन हेतु प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/42/2026)
रवि भूरानी व अन्य
Vs
सर्वसाधारण व अन्य

Process Id- पेशी दिनांक: 19/06/2026

प्रेषिती-(1) सर्वसाधारण
यह कि प्रार्थीगण / वादीगण 1. रवि भूरानी पुत्र स्व. श्री धनराज भूरानी आयु 48 वर्ष व्यवसाय व्यापार, निवासी-जी-1, मोहित अपार्टमेंट 117 विद्या नगर, इंदौर 2. अविनाश भूरानी पुत्र स्व. धनराज भूरानी आय-33 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी-जी-1, 117 विद्या नगर इंदौर म.प्र. 3. श्रीमती रानी लालचंदानी पत्नि स्व. श्री राजेश लालचंदानी पुत्री स्व. धनराज भूरानी आयु 49 वर्ष व्यवसाय प्रायवेट जॉब, निवासी-207/ए, चेतक बिहार, आर.एस. भण्डारी मार्ग अपोजिट ओम नमकीन न्यू पलासिया इंदौर म.प्र. ने आपके विरुद्ध सिविल सूट के लिये वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के **30 दिवस** के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये समन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर/अधिवक्ता द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उक्त दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसे सभी दस्तावेज की लिखित कथन केसाथ उपलब्ध की जाने वाली सूची प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप नियत अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यदि आप निराकरण मध्यस्थता के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख **18.03.2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है

न्यायालय की मुद्रा
श्रीमती चंचल बुन्देला
18वें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, जिला न्यायालय इंदौर (म.प्र.)

टिप्पणी- कृपया ध्यान दें
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी
निगमन की तिथिः 28.09.2018
सीआईएन नंबरः U65990MH2018PTC314935
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नं. 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015
टोल फ्री नं. : 1800 22 0001;
ईमेलः Secretarial@vastufinserve.com

शाखा कार्यालय का स्थानांतरण
वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी"), **इंदौर (विजय नगर)** शाखा कार्यालय को दिनांक 31 जुलाई, 2026 (प्रभावी तिथि) से नीचे बताए गए नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगाः

पुराना पता	नया पता
कार्यालय नं. 107, प्रथम तल, ओम गुरुदेव प्लाजा बी/एच सयाजी होटल, भमोरी रोड, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010	नं. 101, एनआरके टेकपार्क, प्लॉट नं. 9 सी-सीए स्कीम 94, रिंग रोड, इंदौर - 452010, मध्य प्रदेश

पुराना परिसर 30 जुलाई, 2026 तक संचालित रहेगा। दिनांक 31 जुलाई, 2026 से कंपनी के सभी लेन-देन/ग्राहक सेवा संबंधी अनुरोध केवल नए पते पर ही भेजे जाएँ।
किसी भी प्रकार की जानकारी या प्रश्न हेतु आप हमसे इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं: **customercare@vastufinserve.com**
पताः यूनिट सं. 203 एवं 204, द्वितीय तल, ए विंग, नवभारत एस्टेट्स, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई - 400015
दिनांकः 29.04.2026 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः इंदौर वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी
निगमन की तिथिः 04.02.2005
सीआईएन नंबरः U65922MH2005PLC272501
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नं. 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015
फोन : 022-24190911; ईमेलः cs@vastuhfc.com
वेबसाईट : https://www.vastuhfc.com;

शाखा कार्यालय का स्थानांतरण
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी"), **इंदौर ए.बी.** शाखा कार्यालय को दिनांक 31 जुलाई, 2026 (प्रभावी तिथि) से नीचे बताए गए नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगाः

पुराना पता	नया पता
ऑफिस नं. 502, शेखर सेंट्रल, 5वीं मंजिल, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, इंदौर - 452001	नं. 101, एनआरके टेकपार्क, प्लॉट नं. 9 सी-सीए स्कीम 94, रिंग रोड, इंदौर - 452010, मध्य प्रदेश

पुराना परिसर 30 जुलाई, 2026 तक संचालित रहेगा। दिनांक 31 जुलाई, 2026 से कंपनी के सभी लेन-देन/ग्राहक सेवा संबंधी अनुरोध केवल नए पते पर ही भेजे जाएँ।
किसी भी प्रकार की जानकारी या प्रश्न हेतु आप हमसे इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं: **customercare@vastuhfc.com**
पताः यूनिट सं. 203 एवं 204, द्वितीय तल, ए विंग, नवभारत एस्टेट्स, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई - 400015
दिनांकः 29.04.2026 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः इंदौर वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी
निगमन की तिथिः 28.09.2018
सीआईएन नंबरः U65990MH2018PTC314935,
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नं. 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015
टोल फ्री नं. : 1800 22 0001;
ईमेलः Secretarial@vastufinserve.com

शाखा कार्यालय का स्थानांतरण
वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी"), **इंदौर-आरओ** शाखा कार्यालय को दिनांक 31 जुलाई, 2026 (प्रभावी तिथि) से नीचे बताए गए नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगाः

पुराना पता	नया पता
401 ऑफिस, चौथी मंजिल, ओम गुरुदेव प्लाजा, स्कीम 54, मैकेनिक नगर एक्सटेंशन, विजय नगर, इंदौर, म.प्र. 452010	नं. 101, एनआरके टेकपार्क, प्लॉट नं. 9 सी-सीए स्कीम 94, रिंग रोड, इंदौर - 452010, मध्य प्रदेश

पुराना परिसर 30 जुलाई, 2026 तक संचालित रहेगा। दिनांक 31 जुलाई, 2026 से कंपनी के सभी लेन-देन/ग्राहक सेवा संबंधी अनुरोध केवल नए पते पर ही भेजे जाएँ।
किसी भी प्रकार की जानकारी या प्रश्न हेतु आप हमसे इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं: **customercare@vastufinserve.com**
पताः यूनिट सं. 203 एवं 204, द्वितीय तल, ए विंग, नवभारत एस्टेट्स, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई - 400015
दिनांकः 29.04.2026 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः इंदौर वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी
निगमन की तिथिः 28.09.2018
सीआईएन नंबरः U65990MH2018PTC314935
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नं. 203 और 204, दूसरी मंजिल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015
टोल फ्री नं. : 1800 22 0001;
ईमेलः Secretarial@vastufinserve.com

शाखा कार्यालय का स्थानांतरण
वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी"), **इंदौर** शाखा कार्यालय को दिनांक 31 जुलाई, 2026 (प्रभावी तिथि) से नीचे बताए गए नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगाः

पुराना पता	नया पता
एम-05, मेजानाइन फ्लोर, तिरुपति बिजनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 22/1, साउथ तुकोगंज, इंदौर 452001	नं. 101, एनआरके टेकपार्क, प्लॉट नं. 9 सी-सीए स्कीम 94, रिंग रोड, इंदौर - 452010, मध्य प्रदेश

पुराना परिसर 30 जुलाई, 2026 तक संचालित रहेगा। दिनांक 31 जुलाई, 2026 से कंपनी के सभी लेन-देन/ग्राहक सेवा संबंधी अनुरोध केवल नए पते पर ही भेजे जाएँ।
किसी भी प्रकार की जानकारी या प्रश्न हेतु आप हमसे इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं: **customercare@vastufinserve.com**
पताः यूनिट सं. 203 एवं 204, द्वितीय तल, ए विंग, नवभारत एस्टेट्स, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई - 400015
दिनांकः 29.04.2026 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः इंदौर वास्तु फिनसर्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

फार्म नं. 4
न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़
द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग,
प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाइंस, जबलपुर म.प्र. 402001
(ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रक्रिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2 ए के साथ पढ़ा जाए)
मूल आवेदन संख्या 260/2025
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंधवा शाखा बड़वानी **आवेदक**
खिलाफ
श्रीमती माधुरी डुडवे **अनावेदकगण**
प्रति,
श्रीमती माधुरी डुडवे पति श्री भूरसिंह डुडवे
निवासी सागमाली फल्या नवलपुरा जिला बड़वानी 451666
जबकि, ओ.ए. संख्या 260/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष/सूचीबद्ध दिनांक 20.05.2025 को किया गया था।
जबकि माननीय न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19(4) के आपके विरुद्ध दायर उक्त आवेदन (ओए) पर **29,77,270.40 रुपये** की ऋण वसूली के लिये समन/नोटिस जारी करने में प्रसन्न है।
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 04 के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है।
1. समन की तामील होने के तीस दिनों के भीतर यह कारण बताना होगा कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
2. आवेदक द्वारा आवेदन के क्रमांक 3-ए में निर्दिष्ट संम्पत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करें।
3. संपत्ति कुर्क करने के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, मूल आवेदन के कमांक 3-ए के अंतर्गत प्रकट की गई गिरवी रखी गई संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों का निपटान किए बिना उनसे कोई लेन-देन करने से आपको प्रतिबंधित किया जाता है।
4. आप अपने व्यवसाय के सामान्य संचालन के अलावा बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित निर्मित है और/या अन्य संपत्तियां जो मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट या प्रकट की गई है, न्यायाधिकरण की पूर्व स्वीकृती के बिना।
5. आप व्यवसाय के सामान्य क्रम में गिरवी रखी गई संपतियों या अन्य संपत्तियों और परिसंपंत्तियों की बिक्री से प्राप्त विक्रय राशि का हिसाब देने के लिये उत्तरदायी होंगे और ऐसी विक्रय राशि को उन संपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों में पास रखे गये खाते में जमा करेंगे।
आपको लिखित बयान दाखित करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसकी एक प्रति आवेदक को दी जाएगी और इसे **29.05.2026 को सुबह 10:30 बजे** तक जमा करना होगा। ऐसा न करने आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हों, जहाँ आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत यह दिया गया है **20/04/2026** का दिन।
SEAL
न्यायाधिकरण के आदेश से
ऋण वसूली अधिकारी जबलपुर मध्य प्रदेश

फार्म नं. 4
न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़
द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग,
प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाइंस, जबलपुर म.प्र. 402001
(ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रक्रिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2 ए के साथ पढ़ा जाए)
मूल आवेदन संख्या 572/2025
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया महू शाखा इन्दौर **आवेदक**
खिलाफ
श्री सुरेश एवं अन्य **अनावेदकगण**
प्रति,
1. श्री सुरेश पिता श्री बाबूलाल
आर/ओ ग्राम मन तहसील महू जिला इन्दौर मध्य प्रदेश
2. श्रीमती लीलाबाई पति श्री बाबूलाल
आर/ओ ग्राम मन तहसील महू जिला इन्दौर मध्य प्रदेश
3. श्री ओम प्रकाश पिता श्री बाबूलाल
आर/ओ ग्राम मन तहसील महू जिला इन्दौर मध्य प्रदेश
4. श्री राजेन्द्र आर/ओ ग्राम मन तहसील महू जिला इन्दौर मध्य प्रदेश
5. श्रीमती राम प्यारी बाई
आर/ओ ग्राम मन तहसील महू जिला इन्दौर मध्य प्रदेश
जबकि, ओ.ए. संख्या 572/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष/सूचीबद्ध दिनांक 25.06.2025 को किया गया था।
जबकि माननीय न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19(4) के आपके विरुद्ध दायर उक्त आवेदन (ओए) पर **27,15,439.00 रुपये** की ऋण वसूली के लिये समन/नोटिस जारी करने में प्रसन्न है।
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 04 के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है।
1. समन की तामील होने के तीस दिनों के भीतर यह कारण बताना होगा कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
2. आवेदक द्वारा आवेदन के क्रमांक 3-ए में निर्दिष्ट संम्पत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करें।
3. संपत्ति कुर्क करने के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, मूल आवेदन के कमांक 3-ए के अंतर्गत प्रकट की गई गिरवी रखी गई संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों का निपटान किए बिना उनसे कोई लेन-देन करने से आपको प्रतिबंधित किया जाता है।
4. आप अपने व्यवसाय के सामान्य संचालन के अलावा बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित निर्मित है और/या अन्य संपत्तियां जो मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट या प्रकट की गई है, न्यायाधिकरण की पूर्व स्वीकृती के बिना।
5. आप व्यवसाय के सामान्य क्रम में गिरवी रखी गई संपतियों या अन्य संपत्तियों और परिसंपंत्तियों की बिक्री से प्राप्त विक्रय राशि का हिसाब देने के लिये उत्तरदायी होंगे और ऐसी विक्रय राशि को उन संपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों में पास रखे गये खाते में जमा करेंगे।
आपको लिखित बयान दाखित करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसकी एक प्रति आवेदक को दी जाएगी और इसे **13.07.2026 को सुबह 10:30 बजे** तक जमा करना होगा। ऐसा न करने आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हों, जहाँ आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत यह दिया गया है **18/04/2026** का दिन।
SEAL
न्यायाधिकरण के आदेश से
ऋण वसूली अधिकारी जबलपुर मध्य प्रदेश

कार्यालय नगर पालिक निगम बुरहानपुर
निविदा सूचना क्र / पी.डब्लू.डी / 2026-27/03 बुरहानपुर दिनांक : 28-04-2026
निविदा सूचना 2026-27
नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा ऑन लाइन पोर्टल https://mptenders.gov.in टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। टेण्डर का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.	टेण्डर आई.डी. नं.	कार्य का नाम व स्थान	कार्य की समयावधि एवं लागत रू. लाख में	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी
1	2026_UAD _503570_1	शनवारा चौराहा से गणपति थाना मुख्य मार्ग के इलेक्ट्रीक पोल शिफटिंग का कार्य ।	2 माह 73.42 लाख	5,000/- 55,000/-	06-05-2026
2	2026_UAD _503571_1	वार्ड क्र. 39 पांडारोल नाले पर होटल हाईराईस के पास स्थित पुलिया पर दोनों ओर सी. एन. सी. एम.एम. शिट लगाने का सौन्दर्यीकरण का कार्य ।	2 माह 16.76 लाख	2,000/- 12,600/-	06-05-2026

ऑनलाइन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि As per key Date, कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है । उपरोक्त निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो वेबसाइट पर ही दिखाई देगा ।
सहायक आयुक्त
वास्ते आयुक्त
नगर पालिक निगम बुरहानपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा म.प्र.
आजाद भवन टाउन हॉल, एमजी रोड खण्डवा (1) पिन कोडः- 450001.
टेलीफोन/फैक्स नं. : 0733-2223523. Email ID : comkhanda@mpurban.gov.in
क्रमांक / भण्डार / 2026 / 20 खण्डवा, दिनांक 27/04/2026
निविदा विज्ञप्ति
नगर पालिक निगम खण्डवा अंतर्गत जलप्रदाय हेतु जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यक सामग्री क्लोरीन सिलेंडर की व्यवस्था हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी समस्त जानकारी वेबसाईट http:mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्रं.	टेण्डर आई.डी	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अर्नेस्टमनी	निविदा प्रपत्र राशि
1	2026_UAD _503487_1	जल वितरण विभाग अंतर्गत क्लोरीन गैस सिलेंडर (900 किलोग्राम) खाद्य सामग्री हेतु ।	12 लाख	12,000/-	2,000/-

ऑनलाईन निविदा क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक - 25/05/26 (सायं 17:30 बजे तक) ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक - 27/05/2026 (प्रातः 10:30 बजे)
निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
आयुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड
WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat
कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000
सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र
कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारों द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.एन. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार '' वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 '' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते है तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13 (4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता/गारंटर का नाम एवं ऋण खाता संख्या	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) LN20041HC22-23009042, श्री लखन दास, पुत्र श्री मोहन दास (आवेदक एवं बंधककर्ता), श्रीमती कल्पना बैरागी (सह-आवेदक)	22 अप्रैल 26 Rs. 7,86,607/- सात लाख छियासी हजार छः सौ सात रुपए मात्र, 13 अप्रैल 26 तक	श्री लखन दास, पुत्र श्री मोहन दास की की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पटवारी हल्का नं. 105, भूमि के भाग सर्वे नं. 173, ग्राम बलरा, ग्राम पंचायत मुंडली डोटरू, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456550, क्षेत्रफल लगभग 882.00 वर्ग फीट
(ऋण खाता संख्या) LN20081HC23-24015860, श्री आकाश नरवे, पुत्र श्री थान सिंह नरवे (आवेदक एवं बंधककर्ता), श्रीमती ललिता नरवे (सह-आवेदक)	22 अप्रैल 26 Rs. 5,89,228/- पांच लाख नवासी हजार दो सौ अठ्ठाईस रुपए मात्र, 13 अप्रैल 26 तक	श्री आकाश नरवे, पुत्र श्री थान सिंह नरवे की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित सर्वे नं. 69/2 (पैकी) की भूमि, पटवारी हल्का नं. 12, ग्राम चाचरिया, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451666, क्षेत्रफल लगभग 495.00 वर्ग फीट
(ऋण खाता संख्या) LN20082HC24-25022743, श्री लालू भाभर / श्री भीमा भाभर (आवेदक), श्रीमती कस्तूरी बाई पत्नी श्री लालू भाभर (सह-आवेदक एवं बंधककर्ता),	22 अप्रैल 26 Rs. 9,44,471/- नौ लाख चवालीस हजार चार सौ इकहत्तर रुपए मात्र, 13 अप्रैल 26 तक	श्रीमती कस्तूरी बाई, पत्नी श्री लालू भाभर की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित सर्वे नं. 142/3/2 के पूर्वी भाग में, आवासीय वार्ड नं. 01, इंद्रा कॉलोनी, पटवारी हल्का नं. 34, नवीन नं. 58, ग्राम राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश - 454116, क्षेत्रफल लगभग 1125.00 वर्ग फीट

दिनांकः 28-04-2026 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः मध्यप्रदेश **वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड**

रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
ROHA HOUSING FINANCE GROW WITH YOUR OWN HOME
कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट संख्या 1117 और 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301।
मांग सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत उधारकर्ता को सूचना।
इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (आरएचएफपीएल) से ऋण लेने वाले निम्नलिखित उधारकर्ता आरएचएफपीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ता(कों) ने आरएचएफपीएल को अचल संपत्ति/संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकर्ता/कों द्वारा आरएचएफपीएल को आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। उधारकर्ता(कों) के साथ-साथ आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि आरएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के सामने इंगित बकाया राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सुरक्षित लेनदार को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों से लेन-देन न करें।

स. क्र.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/ऋण खाता संख्या/शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति(यों) (अचल संपत्ति/संपत्तियों) का विवरण
1	LAN: HLUJINCSC PR000005018974 / शाखाः उज्जैन सेवा जगदीश चंद्र माली, राजू बाई वो जगदीश दोनों पता1: 22, लक्ष्मीबाई पथ महिदपुर उज्जैन, महिदपुर, मध्य प्रदेश - 456443, भारत, पता 2: मकान नंबर। 2/2, वार्ड नं. 10, माली बाखल महिदपुर, तहसील महिदपुर, जिला. उज्जैन (म.प्र.) 456443, भारत	17.04.2026 और रू.1122048/- 17.04.2026 तक	संपत्ति का वह भाग जो निम्न पते पर स्थित हैः मकान संख्या 2/2, वार्ड संख्या 10, माली बखल महिदपुर, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) 456443, भारत
2	LAN: HLINDRSC PR000005000371 / शाखाः इंदौर क्लस्टर शरद गायकवाड़, सरिता गायकवाड़ दोनों पता 1: 204, राजीव आवास विहार, इंदौर, म.प्र.- 452010, भारत, पता 2: फ्लैट संख्या 603, छठी मंजिल, ब्लॉक-ए, सर्वे संख्या 270/2, प्रोजेक्ट का नाम "स्टार एवेन्यू", इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010, भारत	17.04.2026 और रू.2251280/- 17.04.2026 तक	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो निम्न पते पर स्थित हैः फ्लैट संख्या 603, छठी मंजिल, ब्लॉक-ए, सर्वे संख्या 270/2, प्रोजेक्ट का नाम "स्टार एवेन्यू", इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010, भारत
3	LAN: LANDRLPRS000005000316 / शाखाः इंदौर क्लस्टर तारिक अंसारी, मोहम्मद खालिद अंसारी, निदा अंसारी दोनों पता1: 17, रानीपुरा, जूनी कोतवाली के पीछे इंदौर, मध्य प्रदेश - 452007, भारत, पता 2: मकान नंबर। (पुराना) 17, (नया) 11, गली नं. 04, रानीपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001, भारत	17.04.2026 और रू.2167187/- 17.04.2026 तक	संपत्ति का वह भाग जो निम्न पते पर स्थित हैः मकान संख्या (पुराना) 17, (नया) 11, गली संख्या 04, रानीपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001, भारत

दिनांक - 29.04.2026, **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान - इन्दौर **रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**